प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक 07 जुलाई, 2022**

विषयरू- अनुदान संख्या-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आय-व्ययक में व्यावस्थित धनराशि रू0-51944.55 लाख के सापेक्ष रू0-1829.70 लाख (रूपया अट्ठारह करोड़ उनतीस लाख सत्तर हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-40/बजट/2022-23, दिनांक 23.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि रू0-51944.55 लाख वर्णित लेखाशीर्ष/मानकमद में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल धनराशि के सापेक्ष रू0-1829.70 लाख (रूपया अट्ठारह करोड़ उनतीस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर निम्नालिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नंवत है :-

खाद्य प्रसंस्करण शाखा **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र0 सं0	**मुख्य लेखाशीर्षक**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	2401-फसल क़षि कर्म	48081.84	1659.40
2	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	271.50	169.60
3	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	3590.21	0.00
4	4415-क़षि अनुसंधान तथ शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	1.00	0.70
	योग-	**51944.55**	**1829.70**

लेखाशीर्ष 2401001190408 (राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001190408 राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,30, 000 (रुपये तीन लाख तीस हजार मात्र)

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

2	010	2401001190408 राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	29 अनुरक्षण	63,50, 000 (रूपया त्रेसठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**66,80, 000** **(रूपया छियासठ लाख अस्सी हजार मात्र)**

लेखाशीर्षक : 2401001190409 (खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	01 वेतन	9,16,50, 000 (रूपये नौ करोड़ सोलह लाख पचास हजार मात्र)
2	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	02 मजदूरी	12,00, 000 (रुपये बारह लाख मात्र)
3	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	03 मंहगाई भत्ता	3,97,60, 000 (रूपये तीन करोड़ सत्तानवे लाख साठ हजार मात्र)
4	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	04 यात्रा व्यय	7,50, 000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
5	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,50, 000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
6	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	06 अन्य भत्ते	15, 000 (रुपये पंद्रह हजार मात्र)
7	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	08 कार्यालय व्यय	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

.....3/-

8	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	09 विद्युत देय	16,30, 000 (रूपया सोलह लाख तीस हजार मात्र)
9	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	10 जलकर/जल प्रभार	3,00, 000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4,30, 000 (रूपये चार लाख तीस हजार मात्र)
11	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)
12	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00, 000 (रुपये एक लाख मात्र)
13	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50, 000 (रुपये पचास हजार मात्र)
14	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	29,50, 000 (रुपये उन्तीस लाख पचास हजार मात्र)
15	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	18 प्रकाशन	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)
16	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	29 अनुरक्षण	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)
17	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	42 अन्य व्यय => (भारित)	50, 000 (रुपये पचास हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

.....4/-

18	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	42 अन्य व्यय	12,00, 000 (रुपये बारह लाख मात्र)
19	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	13,00, 000 (रुपये तेरह लाख मात्र)
20	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	16,00, 000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
21	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,40, 000 (रूपये एक लाख चालीस हजार मात्र)
22	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)
23	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4,25, 000 (रूपये चार लाख पच्चीस हजार मात्र)
24	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	49 चिकित्सा व्यय	44,20, 000 (रुपये चवालीस लाख बीस हजार मात्र)
25	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	55 मकान किराया भत्ता	76,70, 000 (रुपये छिहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र)
26	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00, 000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**15,85,90, 000** **(रूपये पंद्रह करोड़ पचासी लाख नब्बे हजार मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्षक 2401001190412 (फूड एक्स्पों, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190412 फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	42 अन्य व्यय	6,70, 000 (रूपये छह लाख सत्तर हजार मात्र)
	कुल			**6,70, 000 (रुपये छह लाख सत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष 2415800040700 (राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान) :

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	01 वेतन	63,50, 000 (रूपये त्रेसठ लाख पचास हजाहर मात्र)
2	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	02 मजदूरी	60, 000 (रुपये साठ हजार मात्र)
3	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	03 मंहगाई भत्ता	26,50, 000 (रूपये छब्बीस लाख पचास हजार मात्र)
4	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	04 यात्रा व्यय	1,50, 000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	90, 000 (रुपये नव्वे हजार मात्र)
6	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	07 मानदेय	50, 000 (रुपये पचास हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

7	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	08 कार्यालय व्यय	4,00, 000 (रुपये चार लाख मात्र)
8	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	09 विद्युत देय	8,20, 000 (रुपये आठ लाख बीस हजार मात्र)
9	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	10 जलकर जल प्रभार /	3,50, 000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
10	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	80, 000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
11	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,60, 000 (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)
12	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	13 टेलीफोन पर व्यय	30, 000 (रुपये तीस हजार मात्र)
13	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,50, 000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
14	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,80, 000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
15	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	17 किराया, उपशुल्क और करस्वामिस्व-	1,80, 000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
16	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	18 प्रकाशन	1,00, 000 (रुपये एक लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

17	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	29 अनुरक्षण	18,00, 000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
18	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	42 अन्य व्यय	2,10, 000 (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)
19	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,70, 000 (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र)
20	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	80, 000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
21	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	45 अवकाश यात्रा व्यय	50, 000 (रुपये पचास हजार मात्र)
22	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का / क्रय	3,00, 000 (रुपये तीन लाख मात्र)
23	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षणतत्सम्बन्धी / स्टेशनरी का क्रय	2,00, 000 (रुपये दो लाख मात्र)
24	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	49 चिकित्सा व्यय	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)
25	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	55 मकान किराया भत्ता	6,50, 000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
26	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00, 000 (रूपये दस लाख मात्र)
	कुल			**1,69,60, 000** **(रूपये एक करोड़ उनहत्तर लाख साठ हजार मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष 4415808000401 (योजना की संस्थान प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण खाद्य) :

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	4415808000401 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना	26 मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र/	70, 000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)
	कुल			**70, 000** **(रुपये सत्तर हजार मात्र)**
महायोग				**18,29,70, 000** **(रुपये अठारह करोड़ उन्तीस लाख सत्तर हजार मात्र)**

3. यह सुनिश्चित कर लिया जायगा कि शासनादेश दिनांक-08.04.2022 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-1652.90 लाख (रूपया सोलह करोड़ बावन लाख नब्बे हजार मात्र) को प्रत्येक लेखाशीर्षक/मानक मदवार समायोजित कर लिया जायेगा।
1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्केरण शाखा के अन्त र्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।
2. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कंरण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत स्वीकृत में वित्त (आय-व्ययायक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या--13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक-07/06/2022 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क़रण विभाग तथा वित्ता नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्ककरण विभाग उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

.....9/-

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या--13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक-07/06/2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-81/2022/341(1)/58-2-2022, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कखरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्तप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in